कानपुर नगर निगम

नगर निगम (सदन) की दिनांक 01-05-2015 मध्यान्ह 12-00 बजे दिन शुक्रवार को सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्य–वृत्त

स्थानः नगर निगम मुख्यालय सभागार, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/46/सचिव (न.नि.)/15–16 दिनांक : -23-05-2015

सेवामें

श्री/श्रीमती/सुश्री.....,

मा0 पार्षद वार्ड सं0...../नाम निर्दिष्ट सदस्य/पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 01.05.2015 दिन शुक्रवार मध्यान्ह 12.00 बजे सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 36 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

4. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
5. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–01-05-2015 दिन शुक्रवार को मध्यान्ह 12:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर / अध्यक्ष**
श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद / सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद / सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू"	पार्षद / सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद / सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद / सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद / सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद / सदस्य
श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद / सदस्य
श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्रीमती शाईमा	पार्षद / सदस्य
श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्रीमती उत्तम	पार्षद / सदस्य
श्री रामकुमार पाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद / सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद / सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद / सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद / सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद / सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद / सदस्य
श्री कमल शुक्ल "बेबी"	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य

ह0..... महापौर

श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य
श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती मधु	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद / सदस्य
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य
श्री आदर्श	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद / सदस्य
श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 आरिफ	पार्षद / सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्री आमोद	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
मो0 इरफान खान	पार्षद / सदस्य
श्री रमापत झुनझुनवाला	पार्षद / सदस्य

<u>नाम निर्दिष्ट सदस्य</u>

श्री बलवन्त सिंह	
श्री शैलेन्द्र मिश्रा	
श्री अब्दुल वासिद	
श्री शशीभाल शुक्ला	
श्री मुन्सिफ अली रिजवी	
श्री चन्द शेखर यादव	
श्री आकिल सिद्दकी	

ह0..... महापौर

पदेन सदस्य

श्री सतीश कुमार निगम	स0वि0स0 / सदस्य
श्री अरूण कुमार पाठक	स0वि0परिषद

अधिकारीगण

श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
श्री गंगाराम चौधरी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री विनोद कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
श्री राकेश कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता
श्री आर.एम. अस्थाना	मुख्य अभियन्ता वि./याँ
श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक जलकल
श्री ए.के. शुक्ला	वित्त अधिकारी, जलकल विभाग

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से पूर्वान्ह में सम्पन्न हुई बैठक में सौहार्दयपूर्ण वातावरण के लिये धन्यवाद् देते हुये कहा कि उसी प्रकारं नगर निगम एवं जलकल विभाग के मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 पर निर्णय लेने के पश्चात् शहर की समस्याओं पर चर्चा होने की आशा करता हूँ। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को मूल बजट 2015–16 प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

आदेशानुपालन में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा निम्नवत् बजट प्रस्तुत किया गया :–

प्रस्ताव संख्या–145

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 767 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर निगम, कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2013-14 तक	पुनरीक्षित 2014-15	वास्तविक आय जनवरी 2015 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	7841.22	11101.50	8620.04	11601.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	2.26	5.00	0.94	2.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	104.81	120.50	89.21	123.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	5	766.30	1510.50	697.35	1083.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	89.76	165.00	92.77	133.00

1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	31.64	51.00	1.77	51.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	6	1679.12	2107.00	1153.66	2107.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	59.62	77.10	66.53	87.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	36272.69	42753.00	41951.39	42753.00
	TOTAL-(A)		**योग (अ)**	6	**46847.42**	**57890.60**	**52673.67**	**57941.10**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**					
3111	Earmarked Funds	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**					
3111	Finance Commission Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	9827.00	7300.00	1815.49	5300.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	7	2866.35	11650.00	9347.85	9050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	7	498.57	765.00	0.00	315.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	8	0.00	106.00	0.00	106.00
	TOTAL-B-		**योग (ब)**		**13191.92**	**19825.00**	**11163.35**	**14775.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)**					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवालविंग फण्ड)	8	6899.94	9003.97	2312.75	6737.41
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	8	15115.46	24822.10	9321.59	11663.12
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	9	9000.37	61399.44	0.00	72243.58
	TOTAL-C-		**योग (ध)**	9	**31015.77**	**95225.51**	**11634.33**	**90644.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)**	9	**91055.11**	**172941.11**	**75471.35**	**163360.21**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः-	9	15977.43	14855.93	32946.55	21639.14
	Grand Total		**महायोग**	9	**107032.54**	**187797.04**	**108417.89**	**184999.35**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2013-14	पुनरीक्षित 2014-15	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16
	Revenue Expenses		राजस्व आय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23760.50	26770.00	19937.68	27860.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	1857.79	1474.00	3336.97	2040.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	13	8208.54	23558.00	10697.35	25066.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	14	314.57	408.00	271.94	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	17	402.70	1588.00	356.10	1845.00

ह0..... महापौर

	योग (द)		**34544.10**	**53798.00**	**34600.04**	**57219.00**
	TOTAL –D-					
	पूँजीगत व्यय					
	Capital Expenses	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**				
3111	**Earmarked Fund**		वित्त आयोग	14	3068.70	7000.00	3933.95	6800.00
3111	Finance Commission		अवस्थापना निधि	14	2574.69	8500.00	2565.15	11500.00
3111	Infrastructure Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	15	464.44	1543.33	445.07	1266.00
3111	Other Earmarked Fund	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3301	Secured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	107.00	0.00	107.00
3311	Unsecured Loans		**कुल योग (य)**		**6107.83**	**17154.33**	**6944.17**	**19677.00**
	Total –E-		**रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)**					
	Reserve Fund (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	17	6899.94	9003.97	2312.75	6737.41
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	17	9000.38	61399.45	1159.10	72243.58
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	18	14903.26	24802.15	6120.62	11643.12
4604	JNNURM Scheme Advance		**योग (र)**		**30803.58**	**95205.57**	**9592.47**	**90624.11**
	TOTAL –F-		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	18	**71455.51**	**166157.90**	**51136.68**	**167520.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (D+E+F)	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	18	-2630.48	0.00	-3259.66	0.00
3401	Less:- Outstanding dues/Suspenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	18	**74085.99**	**166157.90**	**54396.34**	**167520.11**
	Net Revenue & Capital Expenses	4502	अन्तिम अवशेष:-	18	32946.55	21639.14	54021.55	17479.24
4502	Closing Balance		**महायोग**	18	**107032.54**	**187797.04**	**108417.89**	**184999.35**
	Grand Total							

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मूल बजट में अंत्येष्टि स्थल एवं धोबी घाट तथा सफाई के दृष्टिगत कूड़ा उठान हित में गाड़ियों की खरीद का क्या प्राविधान किया गया है ?

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार से अंत्येष्टि स्थलों एवं धोबी घाट के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है, तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी। 2000 हाथ कूड़ा गाड़ियों एवं अन्य बड़ी गाड़ियों के खरीदने की व्यवस्था की जा चुकी है।

सभापति ने अवगत कराया कि ए–टू–जेड संस्था के कारण नगर निगम असहाय हो गया था तथा चारों तरफ शहर में गन्दगी व्याप्त हो रही थी, जिसके दृष्टिगत नगर निगम द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट निस्तारण हेतु हाथ कूड़ा गाड़ियों की खरीद एवं कूड़ा उठाने के लिये

बड़े–बड़े मशीनी उपकरण क्रय किये गये है। अब नगर निगम को स्वयं तय करना है कि समय से झाड़ू लगाई जाये और कूड़े का उठान सुनिश्चित किया जाये तथा समय के उपरान्त कूड़ा डालने वालों के ऊपर अर्थ दण्ड आरोपित किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि ए–टू–जेड के फेल होने की दशा में सफाई के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि खेलों के मैदान के सम्बन्ध में प्रस्तावित धनराशि में वृद्धि की जाये।

सभापति ने कहा कि नानाराव पार्क को उच्चीकृत किया जा रहा है, उसी प्रकार आधुनिकता के दृष्टिगत बृजेन्द्र स्वरूप पार्क को भी खेल के मैदान के रूप में विकसित/उच्चीकृत किया जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने पूछा कि बजट में गौशाला रख–रखाव के मद में जो धनराशि प्राविधानित है तथा आवारा जानवरों को पकड़ने एवं उनके रख–रखाव का क्या प्राविधान है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भौंती स्थित गौशाला के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में गायों के भोजन हेतु भूंसा के खरीदने की धनराशि का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जाता रहा है, जिसका बकाया चला आ रहा है, उसी के भुगतान की धनराशि को प्राविधानित किया गया है। चूँकि दर्शनपुरवा स्थित कांजी हाउस में सीमित जगह होने के कारण आवारा जानवरों को पकड़ कर भौंती गौशाला भेजा जाता था और समझौते के तहत जानवरों को जीवित रखने के लिये भूंसे की धनराशि का भुगतान किया जाता रहा है। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदया द्वारा गंगा बैराज के पास गौशाला हेतु भूमि आवंटित करने के लिये आश्वस्त किया गया है। भूमि आवंटित होने पर भविष्य में तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। जाजमऊ में भी आवारा जानवरों को पकड़ कर रखने की व्यवस्था की जा रही है।

सभापति ने स्पष्ट किया कि पशु चिकित्साधिकारी को मैंने पूर्व मे ही निर्देशित किया है कि दर्शनपुरवा स्थित कांजी हाउस में जितना स्थान हो उसी के अनुसार पशुओं को पकड़ा जाये और उनको भूखा न रखा जाये। इसके दृष्टिगत इस 2305909 मद की प्राविधानित धनराशि में वृद्धि की जाये तथा पूर्व में मेरे द्वारा प्रत्येक वार्ड में बारातशाला निर्माण कराने का निर्णय लिया जा चुका है, उसके दृष्टिगत भी 4102005 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख कम है।

श्री महेन्द्र शुक्ला ने कहा कि नगर निगम द्वारा निर्मित बारातशालाओं के रख–रखाव एवं संचालन हेतु समितियाँ भी बना दी जाये, जिससे उनका सही ढंग से साफ–सफाई इत्यादि होती रहे।

ह0..... महापौर

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु से पूर्व प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्डपम्प अधिष्ठापन की व्यवस्था की जाये।

सभापति ने नगर निगम द्वारा जलकल विभाग को प्रत्येक वार्ड में दो–दो हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु अवमुक्त की गई धनराशि 1.78 करोड़ के सापेक्ष अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की कार्यवाही से भी अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जल निगम द्वारा जिला योजना के तहत विधायक निधि से हैण्डपम्प अधिष्ठापन की व्यवस्था है तथा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 242 में से 223 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके है, 19 हैण्डपम्प अवशेष है। आवश्यकतानुसार तालिका महाप्रबन्धक, जलकल को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा सके।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट जो 31 मार्च, 2015 के पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिये, चार माह विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कारण बताया जाये।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि एजेण्डे पर चर्चा की जाये। इस पर सभागार में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखने के लिये कहा, क्योंकि काँग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही अपने दल से निर्वाचन हेतु पार्षदों को नामित किया गया है, अन्य सभी निर्वाचित पार्षद निर्दलीय है।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र के माध्यम से सदस्यों द्वारा समाजवादी पार्टी की ली गई सदस्यता के सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जा चुका है, फिर भी विधिक राय के अनुरूप एवं आपकी मंशा के अनुसार कार्यवाही कराई जायेगी।

नगर आयुक्त ने श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' के प्रश्न मूल बजट के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि शासन की बैठकों में प्रतिभाग करने के कारण विलम्ब हुआ है, अतः अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि सदन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट को भी स्वीकृति प्रदान की जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में सुपर शकर मशीन के क्रय करने एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में मूल बजट में संशोधन किया जाये।

ह0..... महापौर

अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्य है कि नगर निगम में सुपर शकर मशीन के कुशल चालक न होने के कारण पूर्व में इसका भरपूर उपयोग नही किया गया है। अतः इस पर भी चिन्तन कर लिया जाये। तद्नुसार बजट में प्राविधानित किया जाये और यथावश्यक इसका क्रय किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि मिशन क्लीन गंगा एवं नमामि गंगे योजना के तहत एन.जी.टी. (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) के माध्यम से दो के स्थान पर चार क्रय की जायेंगी, जिसका प्रयोग नाला सफाई एवं अन्य ढके हुये नालों की सफाई में होगा।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि मेरे दल के वरिष्ठ सदस्य श्री कमल शुक्ल "बेबी" किन्हीं कारणों से अपनी बात प्रस्तुत करना चाहते थे, हो सकता है वह तरीका गलत हो, परन्तु सत्ता पक्ष का व्यवहार भी निन्दनीय है।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि अध्यक्ष से अपनी बात मर्यादित एवं अनुशासित ढंग से प्रस्तुत की जाये।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुये कहा कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट में जनवरी, 2015 तक के आय–व्यय दर्शाये गये है, जिसमें रू0 116 करोड की वास्तविक आय दर्शाई गई है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाये कि वर्तमान में वास्तविक आय क्या है? तथा संज्ञान में आया है कि भवनों का सर्वे चल रहा है। अतः सदन में अवगत कराया जाये कि भवनों का कर निर्धारण सर्वे आवासीय या अनावासीय किसके लिये किया जा रहा है।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि शहर के बाह्य क्षेत्रों में प्राइवेट सोसाइटियों द्वारा विकसित मुहल्लों में नगर निगम द्वारा जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, जबकि भवन स्वामियों से गृहकर, जलकर एवं सीवर कर वसूला जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि उन क्षेत्रों में सफाई एवं मार्गप्रकाश की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, चाहे इसके लिये आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखा जाये। राज्य सरकारों द्वारा भी इस प्रकार की अवैध बस्तियों के सम्बन्ध में निर्णय नही लिया जा रहा है। प्राविधानित व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमितिकरण करने के बाद मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुये एवं विकसित करने के पश्चात् नगर निगम को हस्तान्तरित किया जाता है। अतः इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदान हेतु शासन को पत्र लिखा जाये। दूसरा सुझाव है कि नगर निगम द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहे है, इन विद्यालयों को उच्चीकृत करने हेतु शिक्षा की दृष्टि से इनका स्तर सुधारा जाये । हम सभी सदस्य केवल क्षेत्र में नाली, खड़न्जा एवं सड़क निर्माण की बात करते है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये कि किसी कॉन्वेन्ट स्कूल में पढ़े हुये बच्चे को देखकर एक गरीब के मन में भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने

की ललक उत्पन्न होती है, परन्तु आर्थिक विपन्नता के कारण मन मसोस कर रह जाता है। अतः हम सभी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसके लिये पदेन सदस्य मा0 विधायक/मा0 सांसद से भी अनुरोध है कि अपनी निधि के माध्यम से निर्बल वर्ग की सहायता हेतु इन नगर निगम विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने एवं अच्छी शिक्षा दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

मा0 विधायक श्री सतीश निगम ने अध्यक्ष से कहा कि बजट की प्रतियाँ पूर्व में ही उपलब्ध कराई जानी चाहिये। नगर निगम का यह सदन शहर के लिये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं श्री सत्येन्द्र मिश्र के कथन से सहमत हूँ कि नगर निगम के विद्यालयों का स्तर ऊँचा उठाया जाना चाहिये, इसके लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट में संशोधन किया जाना चाहिये। इसी प्रकार नगर निगम के चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरी लगभग मृत प्राय हो रहे है, इसके विषय में भी चिन्तन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 1996 में राज्य सरकार द्वारा नगर निगम चिकित्सा विभाग को मृत काडर घोषित किया गया है, जिससे नगर निगम के द्वारा संचालित चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरी के बदतर स्थिति होती चली जा रही है, परन्तु इनके संचालन के लिये प्राइवेट डाक्टरों से परामर्श करते हुये सहयोग लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम चाचा नेहरू अस्पताल, जागेश्वर अस्पताल एवं बी0एन0 भल्ला अस्पताल के संचालन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने कहा कि चूँकि रू0 30.00 लाख से ऊपर की धनराशि एवं वित्तीय मामलों तथा नीति विषयक प्रकरणों को शासन को संदर्भित किया जाता है और वहाँ से प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

श्री निगम ने कहा कि यदि आप द्वारा कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है तो उसकी प्रति मुझे भी उपलब्ध करा दें जिससे प्रभावी पैरवी की जा सके।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि नगर निगम के अस्पतालों को पी.पी.पी. मॉडल पर संचालित किये जाने हेतु जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, उसकी प्रति विधायक जी को दे दी जाये।

श्री सतीश निगम ने सुझाव दिया कि जलकल विभाग के समय से कार्यो को सम्पन्न कराये जाने हेतु वित्तीय संशाधनों में वृद्धि हेतु विचार किया जाये तथा कार्य प्रणाली में सुधार लाये जाने हेतु जवाबदेही तय की जाये। ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत सीवर सफाई एवं पानी की उपलब्धता

सुनिश्चित की जाये। जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सभी विधायकों को उनकी संस्तुति पर 100–100 हैण्डपम्प लगवाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है, उसी प्रकार सभी पार्षदों की संस्तुति पर 10–10 हैण्डपम्प या सबमर्सिबल पम्प लगवाये जाने पर विचार किया जाये। प्राइवेट सोसाइटी वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी श्री सत्येन्द्र मिश्र के कथन से सहमत हूँ कि यदि उन भवन स्वामियों से गृहकर वसूला जा रहा है तो उन्हें नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधायें भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये। नामान्तरण के एक प्रकरण का उदाहरण देते हुये उसमें की जा रही अनियमितता की ओर ध्यानाकर्षित करते हुये न्यायोचित कार्यवाही कराये जाने की माँग की।

नगर आयुक्त ने शिकायत का संज्ञान लेकर जाँच कराने एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया तथा अवगत कराया कि जलकल विभाग में सीवर की समस्याओं के निस्तारण में सुधार हो रहा है, फिर भी यदि कहीं शिकायत है तो उसे भी मेरे संज्ञान में लाया जाये। पानी की समस्या के समाधान हेतु सभी सदस्य जहाँ–जहाँ हैण्डपम्प रिबोर होने हो तथा अधिष्ठापित किये जाने हो, उन स्थानों की तालिका भिजवा दी जाये, जिससे जल निगम से रिबोर एवं जलकल विभाग से हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य कराया जा सके।

अध्यक्ष ने कहा कि सोसाइटी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा जल निकासी एवं मार्गप्रकाश तथा सम्पर्क मार्गो का निर्माण यथासम्भव कराया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में 12000 हजार सफाई कर्मियों के स्थान पर वर्तमान में केवल 4300 सफाई कर्मी अवशेष है, उनका प्राथमिकता के आधार पर यथावश्यक सदुपयोग किया जा रहा है।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि पानी की समस्या के दृष्टिगत रू0 18.00 अरब के मूल बजट में मेरा सुझाव है कि रू0 10.00 करोड़ हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु प्राविधानित किये जाये। आज श्रमिक दिवस है अतः श्रमिक/सफाई कर्मी की सुरक्षा हेतु सेफ्टी बेल्ट, मास्क एवं दस्ताने उपलब्ध कराये जाये, जिससे नाला सफाई एवं सीवर की सफाई में किसी सफाई कर्मी की दर्दनाक मौत न हो। सीवर सफाई हेतु सुपर शकर मशीन क्रय करने एवं सीवर चेम्बर चेक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। हॉटमिक्स प्लान्ट से सड़कों का निर्माण कराया जाये। सुपर शकर मशीन खरीदी जाये, परन्तु सर्वप्रथम उसके चलाने की ट्रेनिंग हमारे कर्मियों को दी जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि सुझाव अच्छा है, इस पर चर्चा भी की जा चुकी है, सुपर शकर मशीन को चलाने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षक रखने का प्रयास किया जा रहा है। सीवर चेम्बर चेकर मशीन के खरीदने की भी व्यवस्था की जा रही है।

श्री सुरजीत सचान ने कहा कि जल निगम द्वारा सीवर लाईन तोड़ दी गई है और सड़क नही बनाई गई है। नालियों की सफाई नही हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में गन्दे जलभराव के कारण होली जैसा त्योहार नागरिकों द्वारा नही मनाया गया। क्षेत्र का अतिक्रमण भी नही हटाया जा रहा है।

अध्यक्ष ने कहा कि अपनी समस्याओं के साथ नगर आयुक्त से सम्पर्क करे, जिससे समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके।

मो0 शमीम आजाद ने कहा कि कानपुर नगर में पूर्व में चौबीस घण्टे चिमनियों से धुंआ निकलता रहता था, जिससे शहर गतिमान दिखाई पड़ता था, जो फैक्ट्रियों एवं मिलों के बन्द हो जाने के कारण ठहराव आ गया है। गंगा नदी में सीवर डाला जा रहा है, जबकि मा0 प्रधानमंत्री द्वारा गंगा सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी नाले व सीसामऊ का सबसे बड़ा नाला गंगा नदी में गिर रहा है। अतः केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चलाये जाने में सजगता दिखाई जाये। सीवेज फार्म जहाँ नगर निगम की लगभग 1806 बीघा जमीन है, वहाँ फूलों की खेती भी होती है, जिसे सीवेज फार्म के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से भू–माफियाओं को जमीन बेची जा रही है, इसकी जाँच कराई जाये, नेपाल में भूकम्प से कई जाने गई है। अतः कानपुर में बहुमंजलीय भवनों के निर्माण में अनापत्ति निर्गत करने में भी विशेष सतर्कता बरती जाये, क्योंकि पचासो वर्ष पूर्व डाली गई सीवर लाईन एवं पानी की लाईन उस समय की आबादी के दृष्टिगत थी, जो वर्तमान आबादी के दृष्टिगत अक्षम है।

श्री अभिषेक गुप्ता ''मोनू'' ने कहा कि मूल बजट में हाथ कूड़ा गाड़ियों के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 05.00 लाख कम है, चूँकि ए–टू–जेड कम्पनी के विफल होकर चले जाने के कारण नगर निगम द्वारा ही सफाई व्यवस्था का पूर्णतः कार्य देखा जा रहा है। अतः इस मद में वृद्धि की जाये। विज्ञापन शुल्क की माँग एवं हैण्डपम्प अधिष्ठापन की प्राविधानित धनराशि में वृद्धि की जाये। नगर निगम की जमीनों को फ्री–होल्ड कराये जाने हेतु उचित धनराशि का प्राविधान बजट में किया गया है।

अध्यक्ष ने कहा कि ए–टू–जेड की खराब गाड़ियों को वहाँ से लाकर उनकी मरम्मत कराकर कूड़ा गाड़ियों में वृद्धि की जायेगी।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि मूल बजट जो कार्यकारिणी में संशोधित होकर स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है उसमें आज दिये जा रहे सुझावों को सम्मिलित करते हुये तद्नुसार संशोधित किया जाये। कूड़ा गाड़ियों की खरीद एवं हैण्डपम्प अधिष्ठापन के मद में वृद्धि की जाये। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जलकल विभाग को रू0 13.00 करोड़ हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं सीवर लाईन डालने के लिये नगर निगम द्वारा दिये गये,

उसके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक से जानकारी प्राप्त की जाये कि किन–किन स्थलों पर सीवर लाईन डाली गई तथा कहाँ–कहाँ हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मूल बजट में जो संशोधन कार्यकारिणी समिति द्वारा किया गया था, तद्नुसार ही कार्यसूची में बजट प्रस्तुत किया गया है।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि जलकल विभाग द्वारा अनेक अनियमितितायें की जा रही है। बाबा स्वीट हाउस के पास सीवर लाईन डालने हेतु रू0 35.00 लाख की पत्रावली बनाई गई, जबकि वहाँ पर पूर्व से डॉट नाला है। मुख्य अभियन्ता से जाँच के लिये कहा गया परन्तु मुझे संतुष्ट नही किया गया। अतः सुझाव है कि इस पर कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष ने आदेशित किया कि संदर्भित पर नगर आयुक्त के संज्ञान में लाते हुये श्री हाजी सुहेल अहमद को अवगत कराया जाये।

मो0 जब्बार ने कहा कि मेरे वार्ड में अंग्रेजों के जमाने की सीवर लाईन पड़ी है तथा कंघी मोहाल फूलमती तिराहे तक एवं पहलवान बाबा स्वीट हाउस से बजरिया तक कोई सीवर लाईन नही है। पूर्व में नगर आयुक्त द्वारा निरीक्षण भी किया गया, परन्तु उसका कोई समाधान नही कराया गया, क्षेत्र में सीवर का भराव होता है, जिससे नमाजियों को नापाक होकर नवाज अदा करना पड़ता है। इसकी जाँच कराते हुये कार्यवाही की जाये।

श्री आदर्श दीक्षित ने हैण्डपम्प अधिष्ठापन की बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 75.00 लाख को रू0 05.00 करोड़ करने तथा 10–10 हैण्डपम्प सभी वार्डो में लगवाये जाने का अनुरोध किया। जल निगम अधिकारियों द्वारा सीवर एवं पानी की लाईन डालने के लिये जगह–जगह सड़क खोदी जा रही है, परन्तु शासनादेश के अनुसार सड़क निर्माण के लिये कहे जाने पर जल निगम द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास धन उपलब्ध नही है। सीवर समस्या के समाधान हेतु छोटी–छोटी जेटिंग मशीनों की खरीद की जाये।

श्री अरूण पाठक ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था के कारण ही समाज की उच्च परम्पराओं एवं गरिमा को जाना जाता है। नगर निगम विद्यालयों में गरीब जनता के बच्चों की शिक्षा को उच्चीकृत किये जाने हेतु सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपनी विधायक निधि की दस प्रतिशत धनराशि नगर निगम के विद्यालयों के संचालन हेतु प्रदान करता हूँ। वर्तमान में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। गरीब के बच्चे

के मन में कॉनवेन्ट से शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को देखकर उसके अन्तर्मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। अतः मेरा सुझाव है कि नगर निगम विद्यालयों के कुशल संचालन हेतु नगर निगम के मूल बजट में कुछ धनराशि प्राविधानित की जाये।

श्रीमती जरीना खातून ने कहा कि मेरे वार्ड में दूसरे वार्ड के पार्षद द्वारा हस्ताक्षेप एवं दखलनदाजी की जा रही है। मो0 शमीम आजाद दलाल व गुण्डा है। मुझे पीछे से मारने हेतु हमला करवाता है, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। इसी के साथ सभागार में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष ने सभी को शान्त करते हुये बैठक की कार्यवाही अपरान्ह 01:00 बजे 30 मिनट के लिये स्थगित की।

.....

अपरान्ह 01:30 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने कहा कि मूल बजट के लेखा शीर्षक 2301 अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण मद में धनराशि रू0 25066 लाख प्रस्तावित की गई है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि कहीं सरचार्ज लगा दिया जाता है, कहीं अन्य व्यय दर्शा के वृद्धि कर दी जाती है। समय से कार्य प्रारम्भ कराया जाये, जिससे उसकी लागत न बढ़े और उसका भुगतान भी समय से करा दिया जाये। सीवर या पानी की लाईन डालने हेतु किसी प्रकार की अनुमति नही ली जाती है, जब चाहा, जहाँ चाहा रोड कटिंग कर दी जाती है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है। अतः विभागीय सामन्जस्य स्थापित कराया जाये। जो अधिकारी वाहन उपलब्ध कराने हेतु अर्ह है, उन्हें ही नियमानुसार नगर निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराये जाये। सड़क निर्माण में नालियाँ अवश्य बनाई जाये, जिससे सड़क अधिक समय तक चलने लायक बनी रहे। क्षेत्रों से अतिक्रमण हटवाया जाये, जिससे यातायात सुगम हो सके। मा0 विधायक अपने प्रभाव से अपनी इच्छानुसार नगर निगम कार्यप्रणाली पर हस्तक्षेप करते हुये विकास कार्य करा रहे है, इस पर रोक लगाई जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि नाली व फुटपाथ का निर्माण कराने के पश्चात् ही सड़क निर्माण की अनुमति नगर निगम द्वारा दी जाये। मा0 विधायकों को राज्य सरकार द्वारा विधायक निधि प्रदान की जाती है और उनके द्वारा अपनी निधि नगर निगम को उपलब्ध नही कराई जाती है। अतः मनमाने ढंग से कार्य कराये जाने पर रोक लगाई जाये।

ह0..... महापौर

श्री राज किशोर ने कहा कि शहर में अधिकतर क्षेत्रों में सीवर चेम्बर क्षतिग्रस्त है, उनमें से कम से कम 50–50 सीवर चेम्बर ठीक करा दिये जाये साथ ही 20–20 गलीपिटों का निर्माण करा दिया जाये और प्रत्येक वार्ड में 05–05 हैण्डपम्प लगवाये जाये। दिनांक–25.04.2015 को आये भूकम्प के भय से शहर के नागरिकों ने अपने आवास के पास स्थित पार्को में शरण ली थी। अतः शहर के प्रत्येक पार्क को विकसित करने हेतु रू0 10 लाख की धनराशि बजट में प्राविधानित की जाये। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। नगर निगम के अस्पतालों को चालू करवाने की व्यवस्था की जाये। जल निगम द्वारा सड़क काटने के उपरान्त उनकी पुनर्स्थापना भी की जाती है, सुझाव है कि नगर निगम के यातायात विभाग की भाँति सड़कों में कैट आई लगाकर सड़के सुन्दर बनाई जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि नगर निगम अभियन्त्रण विभाग द्वारा लगभग 200 करोड़ की धनराशि से शहर की विभिन्न सड़के बनाई गई है, परन्तु जल निगम के कारण सारे शहर की सड़के खुदी पड़ी है, जबकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत, राज्य सरकार का 30 प्रतिशत एवं नगर निगम का 20 प्रतिशत अंशदान सुनिश्चित है। नोडल एजेन्सी नगर निगम द्वारा जल निगम को दी गई धनराशि का कार्य कहीं दिखाई नही पड़ता है। अतः जल निगम के कार्यो की जाँच कराई जाये, क्योंकि जल निगम द्वारा आश्वस्त किया गया था कि वर्ष 2013 तक पानी की लाईन डालकर क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी, लेकिन जल निगम ऐसा कतई नही कर पाया। जल निगम द्वारा हैण्डपम्प रिबोर भी नही कराये जा रहे है। जलकल विभाग भी हैण्डपम्पों की मरम्मत न कराये जाने से क्षेत्रों में पानी की किल्लत है, क्षेत्रीय जनता चंदा देकर हैण्डपम्प ठीक करा रही है, जिससे क्षेत्र के निर्वाचित पार्षद को अपमानित होना पडता है। इसके लिये महाप्रबन्धक, जलकल विभाग को निर्देशित किया जाये।

श्री लक्ष्मीशंकर राजपूत ने कहा कि जलकल विभाग में हैण्डपम्पों तथा सीवर की सफाई इत्यादि में माँग के अनुसार अपने कर्मियों को उपकरण न उपलब्ध कराने से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में उपस्थित समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सदस्यों द्वारा की जा रही शिकायतों को अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्याओं को नोट कर उनका यथासम्भव समाधान करायें तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया कि सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 का मूल बजट संशोधित किया जाये। जल निगम के अधिकारी ध्यान देते हुये काटी गई सड़कों की तत्काल पुनर्स्थापना कराये तथा महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया कि श्री पण्डित द्वारा जो शिकायत की जा रही है कि चंदा लेकर हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई जा रही है, इसकी अपने स्तर से जाँच करते हुये दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जाये।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि सदस्यों की भावनाओं/सुझावों को मूल बजट में संशोधित करने हेतु भविष्य के पुनरीक्षित बजट में संरक्षित कर लिया गया है। तद्नुसार तत्समय प्रस्तुत किया जायेगा।

..... वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट में आय के पक्ष में 163360.21 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 21639.14 लाख के साथ कुल धनांक रू0 184999.35 लाख की धनराशि तथा व्यय के पक्ष में गौशाला रख–रखाव मद 2305909 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख में आवारा पशुओं हेतु रू0 90.00 लाख की वृद्धि करते हुये रू0 100.00 लाख, गेस्ट हाउस का निर्माण मद 4102005 में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख में रू0 195.00 लाख की वृद्धि करते हुये रू0 200.00 लाख एवं कूड़ा निस्तारण मद 2308001 में रू0 210.00 लाख की कटौती करते हुये रू0 790.00 लाख एवं अन्य अनुरक्षण व्यय मद 2308007 में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख में 75.00 लाख की कटौती करते हुये रू0 75.00 लाख का संशोधन करते हुये अन्तिम अवशेष रू0 17479.24 लाख के साथ कुल रू 184999.35 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि एकाउण्टेन्ट फर्म मेसर्स डी0 गांगुली एण्ड कम्पनी द्वारा आडिट उपरान्त कानपुर नगर निगम द्वारा तैयार की गई दिनांक 01.04.2008 को प्रारम्भिक बैलेन्स शीट का अन्तिम विवरण मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव संख्या–146

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 769 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

प्रारम्भिक बैलेन्स शीट दिनांक 01.04.2008

(धनराशि लाखों में)

दायित्व	धनराशि	सम्पत्ति	धनराशि
निधि एवं संचय	344304.23	स्थायी सम्पत्तियाँ एवं प्रगति	322193.66
अनुदान एवं अंशदान	9070.47	विनियोग	250.00
ऋण	248.24	रहतिया एवं बकाया	13161.49
देयताए	368.02	अवशेष एवं अग्रिम	18385.81
योग	**353990.96**	**योग**	**353990.96**

उपरोक्त प्रारम्भिक अवशेषों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के लेखों को अन्तिम रूप देते हुये दिनांक 31.03.2009, 31.03.2010 एवं 31.03.2011 की बैलेन्स शीट तैयार करते हुये चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट फर्म मेसर्स डी0 गांगुली एण्ड कम्पनी द्वारा आडिट उपरान्त अन्तिम विवरण इस प्रकार है।

ह0..... महापौर

आय--व्यय विवरण

(धनराशि लाखों में)

व्यय	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	आय	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
अधिष्ठान व्यय	14241.08	15008.73	17700.41	कर	5412.90	5463.97	5975.83
प्रशासनिक व्यय	520.29	284.15	978.00	सम्पत्तियों से किराया	108.19	81.18	98.36
अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण व्यय	3694.88	3112.73	5461.80	फीस एवं उपभोक्ता शुल्क	2144.15	1487.51	1421.78
ब्याज एवं करों पर छूट	238.64	122.95	325.54	बिक्री एवं भाड़ा	11.61	12.05	10.22
सम्पत्तियों पर हास आदि	2937.70	2871.38	2814.48	अनुदान एवं अंशदान	13853.30	13441.21	15704.96
				विनियोग एवं ब्याज से आय	226.70	760.80	757.88
				अन्य	225.32	114.67	91.06
व्यय पर आय का अधिक्य	349.58	00.00	00.00	आय का व्यय पर अधिक्य	00.00	38.55	3220.15
कुल योग	21982.17	21399.94	27280.24	कुल योग	21982.17	21399.94	27280.24

बैलेन्स शीट

दायित्व	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	सम्पत्ति	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
निधि एवं संचय	349034.22	357669.75	372854.76	स्थायी सम्पत्तियाँ एवं प्रगति	324273.14	332018.29	351626.49
अनुदान एवं अंशदान	18254.56	23473.20	24926.20	विनियोग	270.48	293.85	293.85
ऋण	3298.47	7503.63	13506.30	रहतिया एवं बकाया	23499.97	17584.73	30380.94
देयताए	1575.05	2149.79	3069.92	अवशेष एवं अग्रिम	24118.71	40899.50	32055.90
कुल योग	372162.30	390796.37	414357.18		372162.30	390796.37	414357.18

..... उपरोक्तानुसार उल्लिखित बैलेन्स शीट को अंगीकृत किया गया।

ह0..... महापौर

प्रस्ताव संख्या–147

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 768 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर
प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2015-16

(रू० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2013-14	प्रस्तावित आय 2014-15	वास्तविक आय दिसम्बर, 2014	प्रस्तावित आय 2015-16
	अ–	राजस्व आय –				
1100201		जलकर	4405.94	5260.00	2882.65	6510.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1448.86	1530.00	1062.4	1660.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	1843.27	2205.00	950.26	2615.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	18.22	20.00	17.13	30.00
1408001		अधिभार	6.86	10.00	6.24	10.00
1401502		नियमितीकरण	15.46	15.00	4.18	15.00
1401401		विकास शुल्क	112.09	120.00	116.61	160.00
		योग राजस्व –	7850.70	9160.00	5039.47	11000.00
	ब–	असंचालन आय–				
3111301		डिपाजिट कार्य	158.83	-	4068.52	-
3112301		अनुदान (विद्युत मद)	-	2940.00	-	3000.00
		कुल आय –	8009.53	12100.00	9107.99	14000.00
3311001	स–	ऋण से प्राप्ति	-	-	-	-
		कुल योग (अ+ब+स)	8009.53	12100.00	9107.99	14000.00

ह0..... महापौर

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर
प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2015-16

(रू० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2013-14	प्रस्तावित आय 2014-15	वास्तविक आय दिसम्बर, 2014	प्रस्तावित आय 2015-16
	अ-	संचालन व्यय -				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	5728.38	6950.00	4488.87	7780.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	271.34	2940.00	12.02	3000.00
2303004	3	पूर्तियाँ	346.87	550.00	180.96	560.00
2308007	4	अन्य व्यय	29.96	63.00	26.60	65.00
2305006	5	रख-रखाव व्यय	636.12	850.00	524.90	925.00
2208003	6	जनरल टैक्स	235.87	-	230.00	250.00
		योग संचालन व्यय -	**7248.54**	**11353.00**	**5463.35**	**12580.00**
	ब-	असंचालन व्यय -				
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	-	40.00	-	40.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	6.80	10.00	1.25	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	10.00	-	10.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	15.00	-	15.00
4107006	6	आकस्मिक पूँजीगत व्यय	-	80.00	-	30.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	20.00	-	20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	6.11	45.00	-	45.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	12.72	20.00	2.43	20.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	6.00	-	6.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	102.24	-	1027.52	-
		योग असंचालन व्यय -	**127.87**	**248.00**	**1031.20**	**198.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	**7376.41**	**11601.00**	**6494.55**	**12778.00**
		कुल योग आय	**8009.53**	**12100.00**	**9107.99**	**14000.00**
		अवशेष	**633.12**	**499.00**	**2613.44**	**1222.00**

ह0..... महापौर

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पृष्ठ संख्या–07 में सीवर के सम्बन्ध में लेखा कोड 2305007 में प्रस्तावित धनराशि रू0 80.00 लाख अत्यन्त कम दिखाई पड़ रही है। अतः विभिन्न वार्डो की सीवर समस्याओं के समाधान हेतु इसमें वृद्धि की जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सम्पवेलों एवं 13 नलकूपों में से 08 नलकूपों की देखरेख हेतु एक ही ठेकेदार को निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके तहत ठेकेदार द्वारा न ही उन सम्पवेलों की सही ढंग से देखरेख की जा रही है और न ही कर्मचारियों को समय से वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है।

सभापति ने श्री नवीन पण्डित के कथन से सहमति व्यक्त करते हुये आपत्ति व्यक्त की और निर्देशित किया कि इस प्रकरण को नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक द्वारा स्वयं देखा जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि कर्मचारियों के वेतन भुगतान की शिकायत है तो श्रम न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि परेड जैसे पॉश इलाके में सीवर सिस्टम नही है, इस पर भी विचार करते हुये कोई नीति निर्धारित की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रश्नगत स्थल पर 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सीवर लाइन के कार्य को प्रस्तावित किया जायेगा।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि वार्ड–41 में भी कई स्थलों पर सीवर लाइन नही है तथा कुछ जगहों पर मेरे द्वारा अपने धन से कार्य कराया गया है। इसका भी संज्ञान लिया जाये।

..... आय के पक्ष में दर्शाई गई धनराशि रू0 14000.00 लाख तथा व्यय के पक्ष में दशाई गई धनाशि रू0 12778.00 लाख एवं अवशेष रू0 1222.00 लाख कुल रू0 14000.00 लाख की धनाशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से क्रमशः नाम पुकारे जाने पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिये कहा।

श्रीमती जरीना खातून, श्रीमती आशा सिंह एवं श्रीमती उत्तम दुबे ने कहा कि कोई शिकायत नही है।

श्रीमती जानकी वर्मा ने कहा कि मेरे वार्ड में सीवर लाईन न होने के कारण सीवर की गम्भीर समस्या है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जिन सदस्यों को सीवर के सम्बन्ध में कोई समस्या/शिकायत है तो मुझे लिखकर दे। तद्नुसार यथासम्भव समस्या का समाधान कराया जायेगा।

श्रीमती लाली गुप्ता ने कहा कि सीवर/पानी के अतिरिक्त कोई समस्या नही है।

ह0..... महापौर

श्रीमती रीता शास्त्री ने कहा कि आज की बैठक में सबसे बड़ी समस्या जो प्रस्तुत हुई है कि एक महिला पार्षद को पुरूष द्वारा खींचा गया है, साथ ही अध्यक्ष महोदय से यह भी अनुरोध है कि नगर निगम के कार्यो में पार्षद पतियों को हस्तक्षेप बन्द होना चाहिये। क्षेत्रों में विकास कार्यो की सम्पन्नता पर लोकार्पण पत्थर पर मा0 महापौर, क्षेत्रीय पार्षद एवं नगर निगम अधिकारियों का ही नाम लिखा जाये, क्योंकि देखा जा रहा है कि विधायकों द्वारा अपने ढंग से लोकार्पण पत्थर लगवाये जा रहे है।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि लोकार्पण पत्थर में नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है तद्नुसार ही कार्यवाही कराई जायेगी।

अध्यक्ष ने कहा कि शासनादेश के तहत पार्षद पतियों या पुत्रों का हस्तक्षेप निषेध है। अतः इस शासनादेश का शख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तत्कालीन नगर आयुक्त श्री एन.के.सिंह चौहान द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन कराया जाता रहा है।

श्री रामऔतार प्रजापति ने कहा कि शहर में अधिकतर हैण्डपम्प छोटी–छोटी खराबियों के कारण बन्द पड़े है, उन्हें ग्रीष्म ऋतु को देखते हुये ठीक कराया जाये, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। कई जगह पाईप लाईन लीकेज है, उन्हें भी ठीक कराया जाये। जल निगम द्वारा वाटर लाईन अभी नही डाली गई है, जबकि मार्च, 2015 में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आश्वस्त किया गया था। चूँकि विधायकों को राज्य सरकार से विधायक निधि मिलती है अतः नगर निगम के विकास कार्यो को कराये जाने में विधायकों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाये। क्षेत्रों में समानता के आधार पर कार्य कराये जाये।

श्री योगेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि क्षेत्र की खराब सड़कों में पैच मरम्मत कराई जाये और जल निगम एवं जलकल के कार्यो हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया जाये।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि प्रजातंत्र की अवधारणा से हम सभी भटक गये है। पानी की व्यवस्था हेतु अगले पुनरीक्षित बजट का इंतजार नही कर सकते है। मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी बसाये जाने को कहा जा रहा है, परन्तु शहर के कई स्थलों पर मलिन बस्तियाँ बदनुमा दाग के रूप में है। अतः इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाये। विकास कार्य कराये जाये। जल निगम द्वारा पानी की लाईन ठीक ढंग से नही डाली गई है, जिससे जलापूर्ति की टेस्टिंग में ही कई जगह फव्वारे छूटकर उनकी पोल खोल रहे है। इसका खामियाजा भविष्य में जलकल विभाग को भुगतना पड़ेगा। अतिक्रमण में फुटपाथ तक को घेर लिया गया है, जिससे यातायात में असुविधा होती है।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को इनकी क्षेत्र की समस्याओं को स्वयं देखने हेतु निर्देशित किया।

श्री निर्देश सिंह चौहान ने कहा कि विधायकों की दखलनदाजी पार्षदों के कार्यो पर बहुत है। यहाँ तक की जे.ई. से कह दिया जाता है कि पत्र लिख दिया जायेगा और उनकी इच्छानुसार कार्य कराये जाने का दबाव डाला जाता है। विधायकों के कहने पर मार्गप्रकाश हेतु 100–100 लाईटें नाम लिखवाकर लगवाई जा रही है, जबकि पार्षद को 10 लाईटें भी नही उपलब्ध नही कराई जा रही है। देहली सुजानपुर में रू0 52.00 लाख की धनराशि से कार्य हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार की गई, परन्तु कोई सुनवाई नही की जा रही है। गर्मी के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा पार्षदों को दो–दो हैण्डपम्प भी नही उपलब्ध कराये गये, जबकि विधायकों को शासन से 100–100 हैण्डपम्प दिये जा रहे है। जगह–जगह रिलायन्स टावर लगाये जा रहे है। बेस कीमती मकानों के सामने 4जी टावर लगाये जा रहे है और यह सब पुलिस वालों की मिलीभगत से लगाये जा रहे है, जिससे भवन स्वामी चाह कर भी विरोध दर्ज नही करा पाता है। इसके लिये भी कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिये। सोसाइटी क्षेत्रों में कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर दी जाये, जिससे जल निकासी सुनिश्चित हो सके और बरसात में जलभराव से बचा जा सके। परन्तु शिकायत है कि निर्वाचित पार्षद की कोई बात नही सुनी जा रही है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि मेरे वार्ड गीता नगर में गली नं0 1, 3 व 4 में नालियों से सीवर बह रहा है। महाप्रबन्धक, जलकल के निरीक्षण के बावजूद भी उसका कोई समाधान नही निकल सका। जबकि चोक सीवर लाईन ठीक की जा सकती है। जल निगम द्वारा कानपुर नगर में सीवर/पानी की लाईनें डाली जा रही है, जिनके गलत कार्यो को भविष्य में जलकल विभाग को भुगतना पड़ेगा। अतः यदि सभी सदस्य सहमत हो तो उ0प्र0 शासन को पत्र भेजा जाये और उनके कार्यो के निरीक्षण हेतु पार्षदों के सहित समिति बनाई जाये। अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, परन्तु पुलिस बल की अनुपलब्धता पर अभियान सफल नही हो पाता है। अतः पुलिस बल नियमित रूप से उपलब्ध कराये जाने की उत्तर प्रदेश शासन से माँग की जाये अथवा किसी सिक्योरिटी एजेन्सी के माध्यम से व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को उ0प्र0 जल निगम के कार्यो की जाँच हेतु समिति बनाये जाने के लिये प्रस्ताव तैयार करने एवं अतिक्रमण अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस बल की माँग के लिये उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि सुरक्षा हेतु किसी प्राइवेट सोसाइटी से व्यवस्था नही कर सकते। सदस्यों के दिये गये सुझाव के अनुसार पुलिस बल की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा जायेगा।

ह0..... महापौर

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि जल निगम द्वारा शहर की तबाही की जा रही है। समय से कार्य न पूरा करने पर लगातार उनके कार्यो यथा सीवर/पानी की लाईन डालने की लागत में वृद्धि की जाती रही है, जिसके प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी/सदन की बैठकों में प्रस्तुत किये जाते रहे है, क्योंकि जल निगम द्वारा समय से कार्य न पूरा करने के कारण ही लागत में वृद्धि होती है, जिसकी भरपाई नगर निगम को करनी पड़ती है। हैदराबाद की कम्पनी द्वारा कार्य वर्ष 2012 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु कोयला नगर, सनिगवां, देहलीसुजानपुर वहाँ पर आज तक न सीवर लाईन डाली गई है और न ही पानी की लाईन। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कब की पूर्ण हो जानी चाहिये थी, जलापूर्ति टेस्टिंग में ही जलापूर्ति लाईनें फव्वारों में बदल रही है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यो की नोडल एजेन्सी नगर निगम है, परन्तु निर्वाचित पार्षदों की नगर निगम शिकायत तक दूर नही कर सकता है। अतः नगर निगम को इससे दूर ही रहना चाहिये। एजेन्सी के दिवालिया होने पर कौन जिम्मेदार होगा, जल निगम या नगर निगम ? योजना का बीस प्रतिशत ही कार्य सही ढंग से हो जाये तो हैण्डपम्प अधिष्ठापन के खर्चो में कमी आ सकती है, क्योंकि जल निगम द्वारा तैयार किये गये वाटर हेड टैंक व डाली गई पानी की लाईन ही त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद भी भुगतान किया जा रहा है। बाद में हम सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाये जा रहे है, क्षेत्रीय जनता पार्षदों से शिकायत करती है, परन्तु पार्षदों की सुनी नही जा रही है। दूरदर्शिता के दृष्टिगत योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाते तो लागत की वृद्धि से बचा जा सकता था। योजना समाप्ति की कगार पर है, अतः इस पर ध्यान कर लिया जाये। जल निगम के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु समिति बनाई जाये और तद्नुसार दिये गये सुझावों के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाये। नो टैम्पों जोन बनाये जाने की अपेक्षा बेहतर यातायात सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराई जाये। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत कुछ समय चली बसें जो मरम्मत व रख–रखाव के अभाव में वर्कशॉप में खड़ी है, उनके संचालन की व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा हस्तक्षेप किया जाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 20 अप्रैल तक 40 बसें उतरने जा रही है, परन्तु उनका कोई पुरूषाहाल तक नही है। गंगा को शुद्ध करने के लिये एन.जी.आर.बी. के माध्यम से वर्ष 2014 में योजना लाई गई थी, जो साजिशन चर्म उद्योग बन्द करने के लिये प्रतीत होती है, क्योंकि मोक्षदायिनी गंगा शुद्ध तो नही हो सकी परन्तु टेनरियाँ जरूर बंद हो रही है। गंगा के गंदे होने का मूलभूत कारण कानपुर में सीवर सिस्टम न होना तथा गंदे नालों के माध्यम से सीवर का पानी सीधे गंगा में गिरना है। कानपुर नगर में लगभग 400 टेनरियाँ है, परन्तु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पूर्ण क्षमता से न संचालित होने के कारण दोष चर्म उद्योग पर डाला जाता है। 400 एम.एल.डी. पानी सीसामऊ नाले में ही गिरता है, जबकि अन्य कई ऐसी फैक्ट्रियाँ है जो रसायनयुक्त पानी सीधे गंगा में डाल रही है। गंगा की सफाई में अरबों रूपये खर्च हो चुके है, परन्तु गंगा साफ नही हो सकी है। कानपुर उद्योग के लिये प्रदूषण बोर्ड केवल दिखावा है, क्योंकि वित्तीय अनियमितता के माध्यम से कोई भी उद्योग किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। देश में लगभग 55000 व्यक्तियों की मृत्यु कुत्तों के काटने के कारण हो रही है और शहर में भी कुत्ते बढ़ रहे है। अतः इस समस्या के समाधान पर भी विचार किया जाये।

श्री मनोज यादव ने कहा कि वार्ड–71 पटेल नगर में जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत डाली गई सीवर लाईन बन्द है, जिसके सम्बन्ध में जलकल विभाग के महाप्रबन्धक को भी बताया गया है। गाँधीग्राम में सीवर चोक है, मार्गकाश विभाग में अनियमिततायें है, यहाँ तक की पटेल नगर में रू0 50.00 लाख की धनराशि से बनवाई गई सड़क को जल निगम द्वारा रोड कटिंग कर दी गई है, परन्तु कहने पर कोई सुनवाई नही हो रही है।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्षेत्र की गलीपिटों की सफाई कराई जाये, जिससे जलभराव नही होगा साथ ही सड़कें भी टूटने से बचेंगी। गलीपिटों में जालियाँ नही है, लगवाई जाये। जरीब चौकी से संगीत टाकीज तक पूरी डॉट लाईन चोक है परन्तु सुपर शकर मशीन चलाने वाला कोई नही है। अतः सुपर शकर से उसकी सफाई कराई जाये। जरीब चौकी, बकरमण्डी, भन्नानापुरवा वाले नाले की सफाई करा दी जाये तो सीवर समस्या का समाधान हो जायेगा। कारगिल पार्क के टूटे झूले ठीक नही कराये गये है, उन्हें ठीक कराया जाये। कारगिल पार्क में पौधों की सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पम्प या पम्पिंग सेट लगवा दिया जाये तो पूरा पार्क हरा–भरा हो जायेगा। जलकल विभाग में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मी रखे जाये, जिससे हैण्डपम्प मरम्मत एवं सीवर सफाई का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रेम नगर बारातशाला में भीषण गन्दगी व्याप्त है, लगातार धर्मशाला आवंटित करा कर कार्यक्रम सम्पन्न हो रहे है परन्तु रख–रखाव, सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैल रही है। अतः सही संचालन की व्यवस्था की जाये। क्लीन कानपुर–ग्रीन कानपुर योजना के अन्तर्गत हरियाली के लिये पूरे शहर में जो वृक्षारोपण कराये जा रहे है, उसके तहत लगभग 26000 पौधे लगाये गये है, जो अधिकतर सूख रहे है। अतः जाँच कराकर संस्था के विरूद्ध एफ.आई. आर. कराई जाये। नगर निगम में कुछ ऐसे भी ठेकेदार है जिनके 20–25 कार्यो के टेण्डर स्वीकृत है, कार्य की अधिकता के कारण कार्य समय से प्रारम्भ नही हो पा रहे है। 15 प्रतिशत निम्न निविदायें डाली जा रही है, ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में कहीं नही है। इनसे शख्ती से समय से कार्य सम्पन्न कराया जाये।

श्री विप्लव भट्टाचार्य ने कहा कि मेरे वार्ड में मलिन बस्तियाँ है, उनमें हैण्डपम्प खराब पड़े है, उन्हें ठीक कराया जाये और प्रत्येक वार्ड में 05–05 हैण्डपम्प लगवाये जाये। क्योंकि क्षेत्रीय समस्या के समाधान हेतु हमारे मध्य उपस्थित श्री अतुल त्रिपाठी को प्रशासनिक कार्यवाही का सामना भी करना पड़ा है।

श्री बाबूराम सोनकर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत सीवर/पानी की लाईन डालने का कार्य अभी नही कराया जा रहा है। वार्ड की मलिन बस्तियों में डूडा द्वारा कार्य कराया गया है, परन्तु पानी की टंकी बनाने हेतु गाँव–गाँव खोद डाले गये है।

डूडा द्वारा घटिया कार्य कराया गया है, इनके कार्यो की जाँच की जायें। डूडा अनियमितता वाला विभाग है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में डाक्टर का पत्र माँगा जाता है, अतः इसका कोई समाधान निकाला जाये। वर्ष 1957 से मेरे वार्ड में कार्य नही हुये थे, वर्तमान में नगर निगम द्वारा कार्य कराये जाने से चारो तरफ जनता जय–जयकार कर रही है।

श्री रमापत झुनझुनवाला ने कहा कि वार्ड स्थित जच्चा–बच्चा अस्पताल में लोगो ने जानवर बाँधना शुरू कर दिया है। इसके सम्बन्ध में दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही कराई जाये। 07 वर्ष से बन्द पड़े नलकूप को चालू कराने हेतु अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

श्री सुमित कुमार सरोज ने कहा कि वार्ड में लगे अधिकतर हैण्डपम्प खराब है, उन्हें ठीक कराया जाये। साथ ही सुझाव दिया कि खराब हैण्डपम्पों का सामान निकलवाकर स्टोर में रखवाकर उन्हें नीलाम किया जाये। कर्मचारियों की कमी आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूर की जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों से कहा कि क्षेत्र में जो हैण्डपम्प खराब है उनकी सूची तथा रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्पों की सूची मुझे उपलब्ध करा दें, जिससे तद्नुसार हैण्डपम्पों की मरम्मत जलकल विभाग तथा रिबोर का कार्य जल निगम से कराया जा सके।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की प्रत्येक वार्ड में दो–दो नये हैण्डपम्प चालू हालत में लगवाये जाये। साथ ही कहा कि जो व्यक्ति बेइमानी करता है वह निन्दा का पात्र है। अतः सदाचारी एवं अनुशासित रहने का प्रयास किया जाये।

श्री कौशल मिश्र ने कहा कि पूर्व में भी मेरे द्वारा नगर निगम कन्ट्रोल रूम की भाँति वार्डो में कन्ट्रोल रूम स्थापित करने की बात कही गई थी, परन्तु वार्ड में कन्ट्रोल रूम की स्थापना नही कराई गई। अतः नगर निगम मुख्यालय स्थित कन्ट्रोल रूम में पार्षद की प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु प्राथमिकता दी जाये। वार्ड में सीवर चेम्बर खराब है, जिससे घरों में सीवर का पानी भरा हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि सीवर सफाई तत्काल कराई जाये।

श्री आलोक शुक्ल ने कहा कि उत्तर से दक्षिण जोड़ने वाली शास्त्री चौक, बर्रा वाली सड़क के निर्माण की जाँच कराई जाये। नगर विकास मंत्री द्वारा आर.सी.सी. रोड प्रतिबन्धित की गई है, परनतु विधायक निधि से बनवाई जा रही है। अतः इसके सम्बन्ध में भी शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये। चोक सीवर लाईनों की सफाई सुपर शकर से कराई जाये। छावनी परिषद की तरह सड़क निर्माण में के.सी.ड्रेन एवं ग्रीन बेल्ट बनाये

जाने का प्राविधान किया जाये। मा0 विधायकों द्वारा विधायक निधि न देकर नगर निगम द्वारा कार्य कराये जाते है, जो पार्षद के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि लोकार्पण पत्थरों के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी/सदन से निर्णय पारित होने के बावजूद भी विधायकों द्वारा क्षेत्रों में अपने ढंग से पत्थरों पर नाम अंकित कराकर लगवाये जा रहे है। अतः जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाये। आज दिनांक–01 मई को राजू सरदार ने चेन स्नेचरों को पकड़ने में अपनी जान गवां दी थी और उसकी आत्मशान्ति के लिये उस मार्ग का उसके नाम से नामकरण किये जाने हेतु कई बार कहा गया, परन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। वृक्षारोपण के कार्य की जाँच करा ली जाये। अवस्थापना निधि के कार्यो में पार्षद द्वारा बताये गये कार्यो को प्रस्तावित नही किया जाता है। यहाँ तक की निविदा आमंत्रित होने के बाद भी कार्य रोक दिये जाते है। शासन ने विधायकों को अनुशासन समिति में रखा है, जो केवल नगर निगम को ही आँख दिखा सकते है, अन्य विभागों को नही।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश के माध्यम से टी.एफ.सी. एवं अवस्थापना निधि के कार्यो में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

श्री अभिषेक गुप्ता "मोनू" ने कहा कि अन्य विभागों द्वारा कार्य कराये जाने से पूर्व नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने की व्यवस्था की जाये। इन्टरलॉकिंग के स्थान पर आर.सी.सी. से कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र भेजा जाये। अवैध विज्ञापन पटों को हटवा कर नियमित रूप से विज्ञापन शुल्क वसूला जाये, जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके।

श्री मदन बाबू ने कहा कि सदन के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा के सम्बन्ध में तरह–तरह के वक्तव्य दिये गये। मेरा क्षेत्र भी गंगा के किनारे स्थित है। अतः सभी से अनुरोध है कि गंगा के किनारे का अतिक्रमण हटाते हुये गंगा में गिर रहे नालों को रोका जाये।

श्री बबलू मेहरोत्रा ने कहा कि अधिकारियों के निरीक्षण के उपरान्त भी सीवर समस्या का कोई समाधान नही हुआ है, जिससे जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सीवर सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाये। क्षेत्र के भवनों में अवैध ढंग से टावर लगे हुये है, हैण्डपम्प खराब है। नानाराव पार्क स्थित तरणताल को संचालित करने हेतु फिल्टरेशन प्लान्ट, क्लोरीनेशन प्लान्ट एवं आपरेटर की व्यवस्था, सफाई के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था, सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी गार्ड, चार जीवन रक्षक (दो कोच पुरूष व दो कोच महिला) तथा तरणताल के बन्द पड़े नलकूप को रिबोर करवाने की व्यवस्था की जाये।

श्री अब्दुल कलाम ने क्षेत्र की समस्या, गलीपिटों में जाली, मार्गप्रकाश बिन्दुओं को चालू करने के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया।

श्री अतुल त्रिपाठी ने पेयजल समस्या समाधान हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापन या रिबोर कराये जाये तथा सीवर की सफाई सुनिश्चित कराई जाये। मा0 विधायक नगर निगम के पदेन सदस्य होते है, उन्हें शासन ने सदस्य इसलिये बनाया है कि नगर निगम की समस्याओं को शासन के संज्ञान में लाये तथा कार्यो हेतु अनुदान प्राप्त कराने में अपना यथासम्भव सहयोग प्रदान करें। जबकि देखा यह जा रहा है कि इसके इतर विकास कार्यो में

अपनी मंशा के हिसाब से अधिकारियों में दबाव बनाकर अपनी विधायक निधि का अंश नगर निगम को न देकर कार्य कराया जा रहा है। इससे पार्षदों के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। नगर निगम में सृजित पदों के सापेक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी है। वर्ष 1996–97 में सफाई कर्मियों की संख्या लगभग 10500 थी, जो वर्तमान में मात्र 4200 है। किसी न किसी प्रकार नगर निगम सीमित संसाधनों एवं कर्मचारियों के माध्यम से शहर की समस्याओं का निस्तारण करा रहा है। विधायकों के घर में सोडियम लाइटें लगी है, परन्तु पार्षदों के कहने से लाईटें नही लगती है। कई सदस्यों द्वारा लोकार्पण पत्थर में क्षेत्रीय पार्षद का नाम न लिखे जाने से अवगत कराया गया है। उसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कई ऐसे लोकार्पण पत्थर है, जिनमें क्षेत्रीय जनता का नाम तो है, परन्तु उसमें मा0 महापौर और क्षेत्रीय पार्षद का नाम अंकित नही है। हैण्डपम्प लगाये गये है, परन्तु पानी नही दे रहे है, परन्तु कोई सुनवाई नही हो रही है। विभागीय कार्यवाही की जाये। मार्गप्रकाश हेतु 10–10 प्रकाश बिन्दु प्रत्येक वार्ड में लगवाये जाये। साथ ही लगाये गये प्रकाश बिन्दुओं के बाद उसकी पुष्टि कराई जाये।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि जल निगम द्वारा मानक के विपरीत कराये गये कार्यो की शिकायत का पत्र शासन को भेजते हुये कार्यो की जाँच हेतु समिति गठित की जाये, क्योंकि मा0 महापौरों के नकेल डालने हेतु विधेयक लाया जा रहा है, जबकि जल निगम का भ्रष्टाचार उ0प्र0 सरकार को नही दिख रहा है। लोकार्पण पत्थरों में मा0 विधायकों द्वारा नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों से पूछने पर कहा जाता है कि उक्त पत्थर नगर निगम द्वारा नही लगवाया गया है। अतः अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि ऐसे लोकार्पण पत्थरों को अवर अभियन्ता के माध्यम से चिन्हांकित कर उन्हें हटवाया जाये।

श्री लक्ष्मीशंकर राजपूत ने कहा कि सीवर लाईन चोक होने में पालीथिन मुख्य कारण है तथा पालीथिन खाने से जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः पालीथिन हटाने का अभियान चलाया जाये तो शहर की आधी गन्दगी स्वतः समाप्त हो जायेगी। दुकानदारों को प्रतिबन्धित करने के स्थान पर पालीथिन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की जाये। सम्पवेलों में अध्यधिक क्षमता की मोटरें लगवाई जाये।

श्री चेतन चौहान ने गहरी नालियों के स्थान पर के.सी.ड्रेन बनाने एवं सीवर समस्या के समाधान हेतु ब्रान्च लाइन्स की सफाई करवाने के लिये कहा।

प्रस्ताव संख्या–148

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 772 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./172/नगर आयुक्त/प्रोजेक्ट सेल/2014–15 दिनांक 30.12.2014 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव –

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट –IV & Part-III शासनादेश संख्याः 6807/नौ–5–2014–60सा /2011 नगर विकास अनुभाग–5, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुसार कानपुर नगर की स्वीकृति सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट –IV & Part-III (मूल परियोजना लागत रू. 20736.00 लाख को पुनरीक्षित करते हुए लागत रू. 25177.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार बढ़ी हुई लागत रू. 4441.00 लाख में से राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रू.3108.87 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रू. 1332.30 लाख वहन किया जाना है। जिसे नगर निगम द्वारा अपने स्रोतो

से वहन किया जाना सम्भव नहीं है। जनहित में शहर के सीवरेज कार्य सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के **नया सवेरा विकास** योजनान्तर्गत रिवालिवंग फण्ड से व्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि यह कर्ज है, इससे नगर निगम पर बोझ पड़ेगा।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–149

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 773 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./185/न.आ./प्रोजेक्ट –सेल/14–15 दिनांक 20.01.2014 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के अनुक्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर के पत्र संख्याः 3564/एसी–1/228 दिनांक 01.12.2014 के क्रम में जनहित एवं आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2014 को उक्त कार्य हेतु रूपया 50,00,000.00 की धनराशि महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर को अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–150

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 774 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/ 205/ न.आ./प्रोजेक्ट–सेल /14–15 दिनांक 18.02.2015 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–1 (इनर ओल्ड एरिया) शासनादेश संख्याः 6364/नौ–56–14–60 सा 2014–60सा /2011 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के क्रम में कानपुर नगर की पूर्व स्वीकृत सीवरेज योजना पार्ट–1 (मूल परियोजना लागत रू. 19088.22 लाख) को पुनरीक्षित करते हुए लागत रू. 24830.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार बढ़ी हुई लागत रू. 5741.78 लाख, जिसमें रू. 2754.

00 लाख सेन्टेज चार्ज भी सम्मिलित है, को राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रू. 4019.25 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रू. 1722.53 लाख वहन किया जाना सम्भव नही है। जनहित में शहर के सीवरेज कार्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के नया सवेरा योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार निकायांश के रूप में प्राप्त की जाने वाली धनराशि रू. 1722.53 लाख रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित के रूप में नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत से प्राप्त किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–151

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 778 से 814 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित––(जोन–2)

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
778	वार्ड 77 श्याम नगर के सी0 ब्लाक में भवन सं0 सी0 448 से भवन सं सी0 512 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2991756.00	3018553.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0. 08% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृत
779	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर ई ब्लाक में एच0 आई0 जी0 49 से एच0आई0जी0 99 तक एवं एच0आई0जी0 46 से ई–66 तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2027892.00	2109012.00	आगणन दर से 4.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0. 19% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृत
781	वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मकान नं0 डी/139 से 18 मी0 मोड होते हुये डी/165 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2583423.00	2651253.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0. 32% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृत
784	वार्ड 95 के अर्न्तगत सुजातगंज सीओडी रोड पर षहषाह फर्नीचर से केषा हाउस तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2974889.00	2588154.00	आगणन दर से 13.00 % निम्न	मे0 बजरंग इ0 प्रा0	स्वीकृत

ह0..... महापौर

785	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत वाजिदपुर में सिद्धादेवी मंदिर रोड पर नदीम टेनरी से वाजिदपुर पुलिया तक रोड का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2404464.00	2404646.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मैं0 अमिताभ उपकम	स्वीकृत
786	वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मे ई–413 से ई–408 तक ई–38 से ई–395 तक एवं ई–2/250 से भवन सं0 1061 के सामने तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2608589.00	2217561.00	आगणन दर से 14.99 % निम्न	मैं0 अन्नपूर्णा कान्स0कं0	स्वीकृत
788	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर के अर्न्तगत बी0 ब्लाक में भवन सं0 बी0 68 से बी0 137 तक के0 सी0 नाली का निर्माण एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2086911.00	2082192.00	आगणन दर से 5.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.39% निम्न	मैं0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत
789	वार्ड 77 ई ब्लाक में भवन सं0 एल0 आई0 जी0 415 से विपिन षुक्ला के मकान तक एवं ट्रासफार्मर से मकान नं0 20 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1801052.00	2027258.00	आगणन दर से 12.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.33% निम्न	मैं0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत
791	वार्ड 77 के अर्न्तगत म0 नं0 331/332/ई से पी0ए0सी0 दक्षिणी गेट होते हुये चाणक्यपुरी चौराहा तक सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2725157.00	3018061.00	आगणन दर से 11.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.41% निम्न	मैं0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत
792	वार्ड 53 दहेजी सुजानपुर में नेषनल हाइवे से सिद्धनाथ चौराहे होते हुये एस–223 तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य	राज्य वित्त आयोग	2966974.00	3061339.00	आगणन दर से 10.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.05% निम्न	मैं0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत
793	वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मकान नं0 डी/139 से 18 मी0 मोड होते हुये डी/165 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2583423.00	2651253.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.32% निम्न	मैं0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत
799	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत कृष्णा नगर गेट से कृष्णा नगर चौराहा होते हुये सडक एंव फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2968623.00	2735289.00	आगणन दर से 7.86 % निम्न	मैं0 इण्डिया टेड्रर्स	स्वीकृत
800	जोन–2 वार्ड 19 सनिगवां के अर्न्तगत छतमरा मुख्य मार्ग से टिकरिया गॉव के रोड के किनारे किनारे आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	1961398.00	2206576.00	आगणन दर से 12.50 % उच्च	मैं0 अन्नपूर्णा कान्स0 कं0	स्वीकृत
814	जोन–2 वार्ड 37 के अर्न्तगत नरायन लॉन से मकान नं0 135 से शिव मंदिर व 118 डी तक प्लान्ट द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2908540.00	3170309.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.46% निम्न	मैं0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या–152

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 865 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
865	जोन 03 वा 55 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित मकान नं0 128/413 से मकान नं0 128/408 एवं 128/386 से 128/379 तक सड़क, नाली व फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	2582000.00	14.00% निम्न	2220520.00	मेसर्स जगत नारायण गुप्ता	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या–153

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.03.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 929 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 26.02.2015 के द्वारा विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावाली 2014 की दरो में पूर्नरीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 03.03.2015 की कार्यवृत्तिः–

उपस्थिति–

श्री हाजी सुहैल अहमद उपसभापति मा0 कार्यकारिणी
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी सदस्य मा0 कार्यकारिणी
श्री आदर्श दीक्षित सदस्य मा0 कार्यकारिणी
श्री विनोद कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त,
श्री राजीव शुक्ला, प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)

मा0 समिति द्वारा वैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावाली 2014 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अनुसूची–2 व नियम–26 में निर्धारित दरे के सम्बन्ध में विचार विमर्श किये जाने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि,दीवाल और भवन,सार्वजनिक स्थ्लो पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष श्रेणी वार निर्धारित दर में निम्नानुसार संशोधित किया जाय।

ह0..... महापौर

निर्धारित दरे	संशोधित दरे
प्रवर श्रेणी :रू0–2000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'अ''श्रेणी रू0 1500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'ब''श्रेणी रू0 1200/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'स''श्रेणी रू0 1000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 800/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी:रू02500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष अ''श्रेणी रू01700/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष ब''श्रेणीरू0 1400/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष स''श्रेणीरू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 1000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
इसी प्रकार क्रमांक 5 पर यूनीपोल (एकल स्तम्भ) के लिये निर्धारित दर में श्रेणीवार निम्नानुसार संशोधित किया जाय।	
निर्धारित दरे	संशोधित दरे
प्रवर श्रेणी :रू0–3000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'अ''श्रेणी रू0 2500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'ब''श्रेणी रू0 2000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'स''श्रेणी रू0 1500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 1200/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष	प्रवर श्रेणी:रू0 4000/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष अ''श्रेणी रू0 2800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष ब''श्रेणीरू0 2300/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष स''श्रेणीरू0 1800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष 'द''श्रेणी रू0 1500/–प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

शेष दरो को उचित बताते हुये उनमें संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अवैध विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विज्ञापन पट पर विज्ञापन एजेन्सी अपनी ओर से विज्ञापन पट की स्वीकृति संख्या व अवधि का उल्लेख करेगा तथा इसके साथ ही नगर निगम द्वारा हर पोल पर अपना टैग भी लगायेगा।

- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विज्ञापन विभाग के दायित्वों का निर्वाहन जोनल स्तर पर किया जाय।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नियमावली में स्थल चयन हेतु जो समिति बनायी गयी है उस समिति में क्षेत्रीय पार्षद को सदस्य के रूप में शामिल किया जाय तथा जो क्षेत्र दो पार्षदो की परिधि में हो उन स्थलो के लिये दोनो क्षेत्र के पार्षदो को सदस्य के रूप मे सम्मिलित किया जाय।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि डिवाइडर हाईटेशन लाइन के नीचे,पार्क ग्रीनवेल्ट पर बैनर,क्यास्क,यूनीपोल,होर्डिंग्स को निर्बन्धित किया जाय।

ह0..... महापौर

- समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये है उन वादो के निस्तारण की कार्यवाही की जाय तथा उन विज्ञापन एजेन्सियों के विज्ञापन पटो की फोटोग्राफी कराकर यथास्थिति रखी जाय यदि विज्ञापन पट पर कोई परिवर्तन किया जाय तो मा0 न्यायालय की अवमानना का वाद दाखिल किया जाय।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि चूँकि विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली 2014 प्रभावी होने जा रही है अतः नियमावली प्रभावी होने से पूर्व शहर को अवैध विज्ञापन पटो से मुक्त कर दिया जाय जिसके लिये 08 अप्रैल 2015 से 30 अप्रैल तक युद्ध स्तर पर अवैध विज्ञापन पट हटाने का अभियान चलाया जाय । विज्ञापन हटाने के लिये नगर निगम स्तर पर एक केन,दो गैस कटर,एक जे0सी0बी0 की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- समिति द्वारा सुझाव दिया गया जो अभियान चलाया जाय उसमें दिशा सूचक व जिन एजेन्सियों के साथ अनुवन्ध है उनको इससे मुक्त रखा जाय,तथा अभियान चलाने की सूचना दो समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला में प्रकाशित कराया जाय।
- समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक विज्ञापन पट पर उसमें नगर निगम के स्लोगन अवश्य लगाये जाये।
- समिति द्वारा दिनांक 26.02.2015 को कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय कि मोतीझील परिसर को विज्ञापन से मुक्त रखा जाय पर पुनः विचार किये जाने का अनुरोध किया गया कि मोतीझील परिसर में नगर निगम द्वारा लान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आवंटित किये जाते हैं तथा वर्ष में दो तीन वार सिख समुदाय व अन्य सामाजिक/राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित होते है जिसमें आवंटी द्वारा विज्ञापन किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुये जिस अवधि के लिये नगर निगम द्वारा जिस कार्यक्रम के लिये लान आवंटित किया जाय उस अवधि के लिये आवंटी को विज्ञापन निषिद्ध से मुक्त रखा जाये ।
- समिति द्वारा विज्ञापन पटो के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि श्रेणी वार व स्थल वार स्थिति के अनुसार नियमावली में प्रस्तावित आंवटन समिति द्वारा नीतिगत निर्णयानुसार किया जायेगा।
- समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन पटो का आवंटन प्रक्रिया किस प्रकार होगी के लिये अपर नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाय कि नयी नियमावली में आवंटन प्रक्रिया प्रस्तुत करें । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कार्यकारिणी में निहित रहेगा।
- समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि नयी नियमावली 2014 में आवंटन प्रक्रिया में राजस्व की क्षति होती है तो पूर्व नियमावली ही आवंटन के लिये लागू रहेगी।

विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावाली 2014 के सम्बन्ध में समिति द्वारा उपरोक्त सुझाव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है:–

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि काकादेव एवं जाजमऊ में कोचिंग मण्डियों के प्रचार हेतु अवैध विज्ञापन पट लगे हुये है, उन्हें जुर्माना वसूलते हुये हटाया जाये।

सभापति ने कहा कि सदस्यों की भावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न क्षेत्रों में यूनीपोल लगाये जाने हेतु विशेष सतर्कता बरती जाये। जहाँ से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है तथा डिवाइडर के ऊपर जहाँ दुर्घटनाकारक प्रतीत हों, वहाँ पर दुर्घटना से बचाव हेतु यूनीपोल न लगाये जाये।

ह0..... महापौर

नगर आयुक्त ने सभापति को आश्वस्त किया कि आपके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि समिति द्वारा जो संशोधन किये गये थे, उसकों कार्यसूची में नही दर्शाया गया है। अतः तथ्यों को छिपाने से मंशा संदिग्ध प्रतीत होती है। कार्यवाही में यदि बदलाव हुआ है तो इसे शासन को संदर्भित किया जाये। अनेक अवैध विज्ञापन पट लगे है, उसके सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर अमल नही किया गया है।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय में सदन में पारित निर्णय के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। अतः सदस्यों को यदि कोई शिकायत है तो तद्नुसार सुझाव दे दें, उसे दिखवा लिया जायेगा।

श्री विनोद कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन एजेन्सियों को स्थगनादेश प्रदान किया गया है तथा उनकी आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही समिति के सुझाव के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि स्थलीय फोटोग्राफी कराकर लगी अवैध होर्डिंग्स हटाई जाये।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी समिति में पारित निर्णय द्वारा गठित समिति के सुझावों को जोड़ा गया है अथवा नही, यह स्पष्ट किया जाये, जिस पर श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने भी कहा कि समिति के सुझावों के अनुसार कार्यसूची में प्रस्ताव नही प्रस्तुत किया गया है।

..... **समिति के सुझावों के विपरीत कार्यसूची में अंकित किये जाने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–154

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.03.15 को सम्पन्न हुई बैठक के टेबुल प्रस्ताव सं0 1030 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

कृपया वरिष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद गत वर्ष एवं विगत वर्षो का बकाया सम्परीक्षा शुल्क रू0–5,28, 25,979.00 दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के व्यय में भी यह व्यवस्था की गई है। अतः आंशिक भुगतान के रूप में रू0 50,00,000.00 (रू0– पचास लाख मात्र) सम्परीक्षा शुल्क स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0..... महापौर

प्रस्ताव संख्या–155

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.03.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1032 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः–

नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 129 (4) के अन्तर्गत नौका बिहार को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में मा0कार्यकारिणी समिति के समक्षविचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तावः–

–: **प्रस्ताव** :–

नौका बिहार को किराये पर दिये जाने हेतु दिनॉक–20.07.2013 को निविदा आमॅत्रित की गयी थी परन्तु उक्त तिथि में कोई आफर प्राप्त नही हुआ था। पुनः अपर नगर आयुक्त के आदेश दिनॉक–29.04.2013 के अनुपालन में नौका बिहार किराये पर देने हेतु दिनॉक–17.08.2013 को आफर प्राप्त किये गये जिसमें किसी भी आफरदाता द्वारा निर्धारित दर रूपया–6,00,000/– वार्षिक की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक न दिये जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी थी। पूर्व नगर आयुक्त के आदेशानुसार दिनॉक–08.10.2013 को आफर आमॅत्रित किये गये जिसमें निर्धारित धनराशि रूपया–6,00,000/– के सापेक्ष रूपया 6,12,500/– मात्र का आफर शर्तो के अनुरूप प्राप्त हुआ था परन्तु तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा दरें कम प्रतीत होने के कारण पुनः टेण्डर किये जाने के आदेश दिनॉक–10.10.2013 को पारित किये गये थे जिसके अनुपालन में दिनॉक–24.10.2014 को आफर आमॅत्रित किये गये थे जिसमें नौका बिहार को एक वर्ष के लिए दिये जाने हेतु रूपया–10,00,000/– वार्षिक निर्धारित किया गया था किन्तु उक्त निविदा के सापेक्ष कोई आफर प्राप्त नही हुआ था।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–129(4) में उल्लेख है कि **नगर आयुक्त (निगम) की किसी चल या अचल सम्पत्ति को निगम की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकते है, बेच सकते है, किराये पर उठा सकते है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकते है।**

नौका बिहार को एक वर्ष के लिए रूपया–10,00,000/– की दर से किराये पर निम्न शर्तो के अधीन दिया जा सकता हैः–

शर्तेः–

1–नौका बिहार का न्यूनतम किराया रू0 10,00,000/–प्रतिवर्ष है। प्रारम्भ में इसे एक वर्ष के लिए किराये पर दिया जाएगा तथा वर्षवार कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अगले वर्ष के लिए 25 प्रतिशत धनराशि बढ़ाकर किराये पर आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। आवंटी को अवधि समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व इस हेतु प्रार्थना पत्र तथा अगले वर्ष के लिए देय धनराशि (उपरोक्तानुसार) का बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट

संलग्न करते हुए देना होगा, बिना धनराशि के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आफरदाता को आफर के साथ अपने आफर की धनराशि का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के रूप में एक मुश्त जमा करना होगा जो नगर निगम कानपुर के नाम देय होगा साथ ही रू0–1,00,000/– (एक लाख मात्र) का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर नगर निगम के नाम बन्धक हो, जमानत के रूप में जमा करना होगा।

2–संचालन अवधि में नौका बिहार झील एवं सम्पूर्ण परिसर की समुचित सफाई व्यवस्था एवं कूडा उठाने का कार्य आफर दाता द्वारा स्वयं अपने संशाधनों से पार्क परिसर से कूडे अडडे तक पहॅचाना होगा।

3–नौका बिहार क्षेत्र में व्यय होने वाली बिजली का सम्पूर्ण भुगतान तथा नौका बिहार क्षेत्र में सम्पूर्ण बिजली व्यवस्था/रखरखाव परिसर में नगर निगम की सम्पत्ति सुरक्षा पर होने वाले अन्य व्यय निविदादाता स्वयं अपने संशाधनों से करेगा ऐसा न करने पर उक्त धनराशि जमानती धनराशि से काटकर भुगतान कर दी जायेगी।

4–आफरदाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाणपत्र आफर के साथ सलंग्न करना होगा जो कि छः माह के पूर्व का न हो।

5– पारदर्शिता की दृष्टि से नौका बिहार हेतु शुल्क निर्धारित कर नगर आयुक्त कानपुर से अनुमोदित कराकर मुख्य नोटिस बोर्ड पर जनता के सूचनार्थ आफरदाता द्वारा रखा जायेगा।

6–नौका बिहार क्षेत्र में या नौका बिहार के समय किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व आफरदाता का होगा। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7–नौका बिहार परिसर में परिवर्तन/परिवर्धन एवं नवीनीकरण स्वीकृति करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर में निहित रहेगा तथा इस पर होने वाला व्ययभार आफरदाता को वहन करना होगा।

8–नौका बिहार में पार्किंग, कैन्टीन का ठेका नगर निगम की सहमति से आफरदाता स्वयं उठायेगा ।

9–आफरदाता यदि नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे तथा उसके उत्तराधिकारियों से बकाया देये धनराशि वसूल करने के लिए नगर निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

10–नौका बिहार परिसर में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं की बिक्री और सेवन आदि पूर्णतयः वर्जित होगा। रात्रि में किसी भी स्थिति में चौकीदार/सुरक्षा गार्ड के अलावा कोई भी सोने व रहने के लिए अधिकृत न होगा।

11–समय–समय पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जनहित को दृष्टिगत रखते हुये अन्य शर्ते भी निश्चित की जा सकती है एवं उल्लेखित शर्तो में परिवर्तन किया जा सकता है जिन्हे आफरदाता मानने के लिए बाध्य होगा। गुण–दोष के आधार पर समय–समय पर पारित आदेश आफरदाता मानने को बाध्य होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

ह0..... महापौर

12–नौका बिहार परिसर में यदि नगर निगम कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो आफरदाता को परिसर निशुल्क उपलब्ध कराना होगा जिसकी पूर्व सूचना नगर निगम द्वारा दी जायेगी।

13–किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

14–अनुबन्ध की तिथि से आफरदाता को नौका बिहार के संचालन का दायित्व प्रभावी होगा।

15–अज्ञात (अन्नोन)तथा अपरिहार्य कारणों (अनएवाईडेवेल रिजन्स) से नगर निगम को संविदा/अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करने का अधिकार होगा। यह पट्टे की शर्तो का उल्लंघन व दबाव (अनड्यू–इनफ्लूयेन्स) नही माना जायेगा।

16–आफर का निर्णय खण्ड–क व खण्ड–ख में दिये गये आफर व उसके लिऐ दी गयी धनराशि को जोडकर जो वास्तव में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा की गयी है के आधार पर (निर्धारित शर्तो के पूर्ण होने पर) लिया जायेगा।

अतएव नौका बिहार को एक वर्ष के लिए रूपया–10,00,000/– की दर से किराये उपरोक्त शर्तो के अधीन दिये जाने हेतु प्रस्ताव मा0कारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ /स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष ने आज दिनांक–01.05.2015 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... **सभी सदस्यों ने आज दिनांक–01.05.2015 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।**

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने अध्यक्ष के नेतृत्व एवं कुशल संचालन एवं सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग पर हार्दिक धन्यवाद् दिया।

राष्ट्रगान के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा बैठक का समापन किया गया।

ह0.....

(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/अध्यक्ष